



# केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)  
'परिवेश-भवन', पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - ११० ०३२

मिसिल संख्या. एसी-१०१/०५/वीजी/२०२२-२०२३/

28 अक्टूबर 2022

## CIRCULAR/परिपत्र

**विषय:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वेतन से आयकर कटौती।  
**SUBJECT: INCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES DURING THE FINANCIAL YEAR 2022-23 UNDER SECTION 192 OF THE INCOMETAX ACT, 1961**

वित्त अधिनियम, 2022 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 अर्थात निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए "वेतन" मद के तहत वसूलनीय आय से अनिवार्य रूप से कटौती की जानी आवश्यक है।

As per the **Finance Act, २०२२**, income-tax is mandatorily required to be deducted under Section 192 of the Act from Income chargeable under the head "Salaries" for the financial year २०२२-२०२३ i.e. Assessment Year २०२३-२४.

2. बजट 2020 ने धारा 115BAC के तहत एक नई कर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें व्यक्तियों और HUF करदाताओं को कम दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। नई व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित आय के लिए भी लागू है, जो आकलन वर्ष 2023-24 से संबंधित है। नई कर व्यवस्था व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए कम कर दरों और शून्य कटौती/छूट के साथ उपलब्ध है।

2. The Budget 2020 had introduced a New Tax Regime under section 115BAC giving an option to individuals and HUF taxpayers to pay income tax at lower rates. The new system is applicable for income earned during the current Financial Year 2022-23 also, which relates to Assessment Year 2023-24. The new tax regime is available for individuals and HUFs with lower tax rates and zero deductions/exemptions.

3. इस वर्तमान परिपत्र में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान शीर्ष "वेतन" के तहत आय के भुगतान से पुराने कर स्लैब और नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की कटौती की दरें शामिल हैं और अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करती हैं और आयकर नियम, 62 (इसके बाद नियम)। प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अधिसूचनाएं आयकर विभाग की वेबसाइट- [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

3. This present Circular contains the rates of deduction of income-tax under old tax slabs and New tax regime from the payment of income chargeable under the head "Salaries" during the financial year २०२२-२०२३ and explains certain related provisions of the Act and Income-tax Rules, १९६२ (hereinafter the Rules).The relevant Acts, Rules,

Forms and Notifications are available at the website of the Income Tax Department- [www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in).

4. प्रत्येक व्यक्ति जो शीर्ष "वेतन" के तहत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए "वेतन" शीर्ष के तहत निर्धारित की अनुमानित आय पर आयकर की कटौती करेगा। आयकर की गणना इस परिपत्र में दी गई दरों के आधार पर की जानी आवश्यक है, अधिनियम की धारा 206ए के अनुसार पैन प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधानों के अधीन, और प्रत्येक भुगतान के समय में कटौती की जाएगी। तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कोई कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि कर्मचारी की उम्र के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए अनुलाभों के मूल्य सहित अनुमानित वेतन आय ₹2,50,000/- या ₹3,00,000/- जैसा भी मामला हो, से अधिक न हो।

4. Every person who is responsible for paying any income chargeable under the head "Salaries" shall deduct income-tax on the estimated income of the assessee under the head "Salaries" for the financial year २०२२-२०२३. The income-tax is required to be calculated on the basis of the rates given in this circular, subject to the provisions related to requirement to furnish PAN as per sec २०६AA of the Act, and shall be deducted at the time of each payment. No tax, however, will be required to be deducted at source in any case unless the estimated salary income including the value of perquisites, for the financial year exceeds ₹2,50,000/- or ₹3,00,000/- as the case may be, depending upon the age of the employee.

5. स्थायी खाता संख्या (पैन) और निर्धारित का पता अनिवार्य है। यदि प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्रोत पर कर निर्धारित दरों पर या बिना किसी छूट/कटौती के 20% जो भी अधिक हो, काटा जाना है।

5. Permanent Account Number (PAN) and address of the assessee are mandatory. If not furnished, tax at source is to be deducted at the prescribed rates or 20% whichever is higher without giving any rebate/deduction.

6. धारा 2(2बी) सक्षम करती है कि एक करदाता "वेतन" के अलावा किसी अन्य मद के तहत आय का विवरण प्रस्तुत कर सकता है (शीर्ष – गृह संपत्ति से आय के तहत नुकसान के अलावा ऐसे किसी भी शीर्ष के तहत नुकसान नहीं) के लिए करदाता द्वारा प्राप्त किया गया उसी वित्तीय वर्ष और उस पर स्रोत पर काटे गए किसी भी कर का। विवरण संलग्नक के साथ 12 बीबी के संलग्न फॉर्म में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे करदाता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है, जैसा कि आयकर नियमों के नियम 26बी(2) के तहत निर्धारित किया गया है।

6. Section १९२(२बी) enables a taxpayer may furnish particulars of income under any head other than "Salaries" (not being a loss under any such head other than the loss under the head – Income from house property) received by the taxpayer for the same financial year and of any tax deducted at source thereon. The particulars may be furnished in the enclosed Form of 12 BB along-with annexure, which is to be signed and verified by the taxpayer in the manner as prescribed under Rule २६बी(२) of the Income Tax Rules.

7. डीडीओ 'केवल गृह संपत्ति से आय' मद के अंतर्गत हानि को हिसाब में ले सकता है। काटे जाने वाले कर की राशि की गणना के लिए डीडीओ द्वारा किसी अन्य शीर्ष के तहत हानि पर विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही अन्य आय पर टीडीएस जोड़कर वेतन पर कर कम नहीं किया जा सकता है।

7. DDO can take into account loss under the head—Income from house property only. Loss under any other head cannot be considered by the DDO for calculating the amount of tax to be deducted. Also Tax on salaries cannot be reduced by the addition of TDS on Other Income.

8. यदि करदाता के अधिकार क्षेत्र वाला टीडीएस अधिकारी करदाता द्वारा फॉर्म संख्या 13 में उसके समक्ष दायर आवेदन के जवाब में अधिनियम की धारा 197 के तहत कर की कटौती या कम कटौती का प्रमाण पत्र जारी करता है; तो डीडीओ को ऐसे प्रमाण पत्र को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें उल्लिखित दरों पर देय वेतन पर कर की कटौती करनी चाहिए। (नियम 28एए)। टीडीएस के त्रैमासिक विवरण (फॉर्म 24क्यू) में प्रमाण पत्र की विशिष्ट पहचान संख्या की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

8. If the jurisdictional TDS officer of the Taxpayer issues a certificate of No Deduction or Lower Deduction of Tax under section 197 of the Act, in response to the application filed before him in Form No 13 by the Taxpayer; then the DDO should take into account such certificate and deduct tax on the salary payable at the rates mentioned therein. (Rule 28AA). The Unique Identification Number of the certificate is required to be reported in Quarterly Statement of TDS (Form 24Q).

9. इसके अलावा, परिपत्र 04/2013 दिनांक 17/04/2013 के अनुसार, सभी कटौतीकर्ता फॉर्म संख्या 16 का भाग ए जारी करेंगे, इसे ट्रेसेस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न और बाद में डाउनलोड करके और इसे विधिवत प्रमाणित और सत्यापित करने के बाद, सभी के संबंध में अध्याय XVII-B की धारा 22 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद कटौती की गई राशि। फॉर्म संख्या 16 के भाग ए में एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगी। फॉर्म नंबर 16 और फॉर्म 12BA का 'पार्ट बी (अनुलग्नक)' कटौतीकर्ता द्वारा स्वयं तैयार किया जाएगा और फॉर्म नंबर 1 के भाग ए के साथ-साथ उचित प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद कटौती करने वालों को जारी किया जाएगा।

9. Further, as per Circular 04/2013 dated 17/04/2013 all deductors shall issue the Part A of Form No. 16, by generating and subsequently downloading it through TRACES Portal and after duly authenticating and verifying it, in respect of all sums deducted on or after the 1st day of April, 2011 under the provisions of section 197 of Chapter XVII-B. Part A of Form No 16 shall have a unique TDS certificate number. 'Part B (Annexure)' of Form No. 16 and Form 12BA shall be prepared by the deductor at his own and issued to the deductees after due authentication and verification along-with the Part A of the Form No. 16.

10. आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आय विवरण और बचत का प्रमाण निम्नलिखित निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

10. The proof of Income details & savings under various sections of Income Tax Act may be submitted as per the following scheduled dates:

अंतिम तिथी Last Date	<b>15 दिसम्बर 2022 तक एफ एंड ए डिवीजन में फॉर्म 12बीबी की प्राप्ति</b> Receipt of Form 12BB in F&A Division-CPCB Delhi by 15th December 2022
अनुलग्नक Annexure	<b>15 दिसम्बर 2022 तक बचत के प्रमाण के साथ I और II (स्व प्रमाणित) कर की विवरणी।</b> फॉर्म 12बीए I और II बचत के प्रमाण के साथ (स्व-सत्यापित) 15 दिसंबर 2022 तक जमा किया जाना है। 15 दिसंबर 2022 के बाद की गई बचत का प्रमाण 15 जनवरी 2023 तक या उससे पहले जमा करना होगा। इस तिथि के बाद की गई बचत का आयकर रिटर्न दाखिल करके सीधे दावा किया जा सकता है।  I & II along-with proof of the savings (self-attested) by 15th December 2022. Proof of savings made after 15th December 2022 must be submitted on or before 15th January 2023. Savings made after this date can be directly claimed by filing Income Tax Return.
क्रमांकित Numbered Serially	सभी संलग्नकों को क्रमांकित प्रारूप के अनुसार क्रमांकित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि यह अप्राप्य न हो। All the enclosures must be numbered & arranged serially according to the format so that it may not lead to unattended.

11. इस सर्कुलर और सेविंग सबमिशन फॉर्म 12बीबी की सॉफ्ट कॉपी, दोनों कर्मचारी कॉर्नर और सीपीसीबी ई-ऑफिस पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

11. Soft copies of this circular & saving submission form 12BB, both are also available in the employees' corner and CPCB e-office portal.

12. जिन कर्मचारियों ने पुराने टैक्स स्लैब को चुना है, उनसे "फॉर्म 12बीबी" जल्दी जमा करने का अनुरोध किया जाता है ताकि अंतिम समय में कठिनाई से बचा जा सके।

12. An early submission of "Form 12BB" from those employees who has opted old tax slabs is requested to avoid last minute hardship.

(विपिन गोयल)

सहायक लेखा अधिकारी  
वित्त एवं लेखा विभाग, दिल्ली

Encl.: As above

**(A) Income Tax Rates for those who opt for New tax regime for the Financial Year 2022-2023**

Net income range	Income-tax rates	Education and Health Cess
Up to ₹2,50,000	Nil	Nil
₹2,50,000 – ₹5,00,000	5% of (total income minus ₹2,50,000) [*]	4% of income-tax
₹5,00,000 – ₹7,50,000	Rs. 12,500 + 10% of (total income minus ₹5,00,000)	4% of income-tax
₹7,50,000– ₹10,00,000	Rs. 37,500 + 15% of (total income minus ₹7,50,000)	4% of income-tax
₹10,00,000– ₹12,50,000	Rs. 75,000 + 20% of (total income minus ₹10,00,000)	4% of income-tax
₹12,50,000– ₹15,00,000	Rs. 1,25,000 + 25% of (total income minus ₹12,50,000)	4% of income-tax
Above ₹15,00,000	Rs. 1,87,500 + 30% of (total income minus ₹15,00,000)	4% of income-tax

**आपको निम्नलिखित पता होना चाहिए:**

1. अगर कोई वित्त वर्ष 2022-23 से नई कर व्यवस्था का चयन करता है, तो निम्नलिखित कटौती और छूट का दावा नहीं किया जा सकता है, जो पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वालों के लिए उपलब्ध हैं:

**वेतन पर मानक कटौती, पेशेवर कर और मनोरंजन भत्ता**

1. अवकाश यात्रा भत्ता (LTA)
2. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
3. अवयस्क बाल आय भत्ता
4. हेल्पर भत्ता
5. बच्चों की शिक्षा भत्ता
6. अन्य विशेष भत्ते [धारा 10(14)] - विवरण के लिए आयकर अधिनियम देखें।
7. स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति या खाली संपत्ति पर आवास ऋण पर ब्याज (धारा 24)
8. अध्याय VI-A कटौती (80C, 80D, 80E और इसी तरह) (धारा 80CCD(2) और 80JJAA को छोड़कर)
9. किसी अन्य अनुलाभ या भत्तों के लिए छूट या कटौती के बिना
10. पारिवारिक पेंशन आय से कटौती

**हालांकि, नई कर व्यवस्था में वेतन आय से कटौती के रूप में निम्नलिखित का दावा किया जा सकता है:**

1. विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति के मामले में परिवहन भत्ते।
2. रोजगार के हिस्से के रूप में किए गए वाहन व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त वाहन भत्ता।
3. दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त कोई भी मुआवजा।
4. सामान्य नियमित प्रभारों को पूरा करने के लिए प्राप्त दैनिक भत्ता या अपने नियमित कार्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण आपके द्वारा किए गए व्यय।

**Things, you must know:**

1. If anyone choose new tax regime from FY 2022-23, the following deductions and exemptions cannot be claimed, which are available to those who opt for old tax slab:

- The standard deduction, professional tax and entertainment allowance on salaries
- Leave Travel Allowance (LTA)
- House Rent Allowance (HRA)
- Minor child income allowance
- Helper allowance
- Children education allowance
- Other special allowances [Section 10(14)] - for details refer Income Tax Act.
- Interest on housing loan on the self-occupied property or vacant property (Section 24)
- Chapter VI-A deduction (80C,80D, 80E and so on) (Except Section 80CCD(2) and 80JJAA)
- Without exemption or deduction for any other perquisites or allowances
- Deduction from family pension income

However, the followings can be claimed as deduction from salary income in new tax regime:

- Transport allowances in case of a specially-abled person.
- Conveyance allowance received to meet the conveyance expenditure incurred as part of the employment.
- Any compensation received to meet the cost of travel on tour or transfer.
- Daily allowance received to meet the ordinary regular charges or expenditure you incur on account of absence from his regular place of duty.

**B. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पुराने टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वालों के लिए आयकर दरें****(B) Income Tax Rates for those who opt for old tax slabs for the Financial Year 2022-2023**

1. Normal tax rates applicable to a resident individual below the age of 60 years i.e. born on or after 1.4.1961

Net income range	Income-tax rates	Education and Health Cess
Up to ₹2,50,000	Nil	Nil
₹2,50,000 – ₹5,00,000	5% of (total income minus ₹2,50,000) [*]	4% of income-tax
₹5,00,000 – ₹10,00,000	Rs. 12,500 + 20% of (total income minus ₹5,00,000)	4% of income-tax
Above ₹10,00,000	Rs. 1,12,500 + 30% of (total income minus ₹10,00,000)	4% of income-tax

**सरचार्ज:** यदि शुद्ध आय ₹50 लाख से अधिक पर ₹1 करोड़ से अधिक नहीं है [जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित है] तो आयकर की राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाता है और @ 15%, यदि शुद्ध आय ₹1 करोड़ से अधिक है। ऐसे मामले में जहां अधिभार लगाया जाता है, आयकर और अधिभार की राशि पर 4% की दर से शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा।

**Surcharge:** Surcharge is levied @ 10% on the amount of income-tax if net income exceeds ₹50 Lakh [As amended by Finance Act, 2017] but doesn't exceed ₹1 crore and @ 15% on the amount of income tax if net income exceeds ₹1 crore. In a case where surcharge is levied, Education and Health Cess @ 4% will be levied on the amount of income tax plus surcharge.

[\*] एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है) धारा 87ए के तहत छूट का लाभ उठा सकता है। यह शिक्षा उपकर की गणना करने से पहले आयकर से कटौती योग्य है। छूट की राशि आयकर का 100 प्रतिशत या ₹12,500, जो भी कम हो होगी।

[\*] A resident individual (whose net income does not exceed ₹ 5,00,000) can avail rebate under section 87A. It is deductible from income-tax before calculating education cess. The amount of rebate is 100 per cent of income-tax or ₹12,500, whichever is less.

## 2. परिवहन भत्ता कर योग्य

### Transport allowance to become taxable

परिवहन भत्ता (जो निवास स्थान और अपने कर्तव्यों के स्थान के बीच आने-जाने के उद्देश्य के लिए अपने खर्च की लागत को पूरा करने के लिए मिलता है) केवल उस व्यक्ति को जो नेत्रहीन या निचले छोरों के साथ विकलांग है, ₹ 3200 प्रति माह तक की छूट को छोड़कर अब पूरी तरह से कर योग्य है।

Transport allowance is now fully taxable except the exemption upto ₹ 3200 per month only to the person **who is blind or orthopedically handicapped with disabilities of lower extremities**, to meet the cost of his expenditure for the purpose of commuting between the place of the residence and the place of his duties.

## 3. मानक कटौती

उपरोक्त भत्ते के एवज में, वेतन और पेंशन से ₹50,000 रुपये की मानक कटौती सभी को उपलब्ध है।

### 3. Standard Deduction

In lieu of the above allowance, Standard Deduction of ₹ 50,000 from salary and pension is available to all employees.

## 4. अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज

जैसा कि बजट 2021 में घोषित किया गया था और वित्त विधेयक 2021 के तहत धारा 10(11) और 10(12) में एक प्रावधान डाला गया था कि किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) सहित अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में जमा एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2.5 लाख से अधिक है, तो ₹ 2.5 लाख से अधिक के योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य होगा। यह प्रतिबंध केवल 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किए गए योगदान के लिए लागू होगा। अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में इस सीमा को बढ़ाकर ₹ 5 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है।

## 4. Interest on Contributory Provident Fund

As announced in Budget 2021 and under the Finance Bill 2021, a provision was inserted in Sections 10(11) and 10(12) that deposits in Contributory Provident Fund

(CPF) including Voluntary Provident Fund (VPF) by an employee ₹ 2.5 lakh in a financial year, then the interest earned on contribution exceeding ₹ 2.5 lakh will be taxable. This restriction will be applicable only for contributions made on or after April 1, 2021. In General Provident Fund (GPF), now this limit has been increased to ₹ 5 lakh per annum.

#### 5. अंशदायी भविष्य निधि में संचित शेष राशि पर 31 मार्च, 2021 तक ब्याज

कर्मचारी का मूल योगदान, नियोक्ता का योगदान, नियोक्ता के योगदान पर अर्जित पूरा ब्याज और 31 मार्च 2021 तक कर्मचारी द्वारा अर्जित ब्याज कर योग्य नहीं है।

#### 5. Interest on accumulated balances in Contributory Provident Fund till 31st March, 2021

The employee's principal contribution, employer's contribution, entire interest earned on employers' contribution, and interest earned by the employee till 31st March 2021 are not taxable.

#### 6. अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज पर कर लगाने का तरीका

कोई दोहरा कराधान नहीं होगा और यह ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे आज बैंक सावधि जमा पर ब्याज आय पर कर लगाया जाता है। ऐसा ब्याज घटक धारा 194(ए) के तहत टीडीएस के अधीन होगा। ₹ 5,00,000 से अधिक कर्मचारी के योगदान के संबंध में अर्जित ब्याज आय 'अन्य स्रोतों से आय' मद के तहत कर योग्य होगा क्योंकि यह नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से निकलने वाले स्रोत से अर्जित नहीं हो रहा है। यह ब्याज आय करदाता की कुल कर योग्य आय का हिस्सा बन जाएगी। इस ब्याज की कर देयता के लिए कोई विशेष दरें नहीं हैं। इसलिए, ऐसी ब्याज आय पर आयकर अधिनियम की धारा 10(11) और 10(12) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार प्रचलित आयकर दरों पर कर लगाया जाएगा।

#### 6. Manner to tax the Interest on Contributory Provident Fund

There would be no double taxation and it will work exactly in the same manner as the way interest income on bank fixed deposits is taxed today. Such interest component shall be subject to TDS under Section 194(a). The interest income accruing in respect of the employee's contribution over ₹5,00,000 shall be taxable under the head '**Income from other sources**' as it is not accruing from a source emanating from an employer-employee relationship. This interest income will become part of the total taxable income of the taxpayer. There are no special rates for the taxability of this interest. Hence, such interest income shall be taxed at the prevailing income tax rates as per Proviso inserted to Sections 10(11) and 10(12) of Income Tax Act.

#### 7. PMCARES फंड में दान धारा 80G के तहत 100% कर छूट के लिए पात्र है

उस संगठन के पिन कोड के साथ पैन और पता उद्धृत करना अनिवार्य है, जिसे आयकर रिटर्न में यू / एस 80 जी के तहत ऐसे दान की कटौती का दावा करने के लिए दान किया गया है।



**PMCARES फंड का PAN है: A A E T P 3 9 9 3 P**

PMCARES फंड का पता है: प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011

**7. Donation to PMCARES Fund is eligible for 100% tax exemption u/s 80G**

It is compulsory to quote PAN & Address along with PIN code of the Organisation to which a donation is made to claim the deduction of such donation U/s 80G in the Income Tax Return.

**PAN of PMCARES Fund is: A A E T P 3 9 9 3 P**

Address of PMCARES Fund is: PRIME MINISTER'S OFFICE, SOUTH BLOCK, NEW DELHI - 110011

8. सभी निर्धारित (पुरुष और महिला दोनों) के मामले में व्यक्तिगत आयकर से छूट की सीमा, जो पुराने कर स्लैब का विकल्प चुनते हैं और 60 वर्ष से कम आयु के लिए ₹ 2,50,000 है, जबकि 60 वर्ष से अधिक के निवासी वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹ 3,00,000 है और 80 वर्ष से अधिक के निवासी अति वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹ 500,000 है।

एक कर्मचारी वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में नई कर व्यवस्था चुन सकता है और अपने नियोक्ता को सूचित कर सकता है। **कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी अपनी पसंद नहीं बदल सकता है।** हालांकि, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बदलाव किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022-23 (निर्धारण वर्ष 2023-24) के लिए कर दाखिल करने की नियत तिथि 31 जुलाई 2023 है जब तक कि आयकर विभाग द्वारा अन्यथा बढ़ाया न जाए। AY 2018-19 से नए कानून के अनुसार, देय तिथि के बाद लेकिन उस वर्ष के 31 दिसंबर से पहले रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 31 दिसंबर के बाद 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के रूप में, यदि आपकी आय ₹ 5 लाख से अधिक नहीं है, तो लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये होगा।

8. Threshold limit of exemption from personal income tax in the case of all assesses (male and female both) who opt for old tax slab & below the age of 60 years is ₹2,50,000, while for a resident senior citizen over 60 years is ₹3,00,000 and for resident super senior citizen over 80 years is ₹500,000.

An employee can choose the new tax regime at the beginning of FY 2022-23 and intimate CPCB- F&A Division. The employee cannot change their choice anytime during the financial year. However, the change can be done at the time of filing the income tax return. The due date for tax filing for the FY 2022-23 (AY 2023-24) is 31st July 2023 unless otherwise extended by Income Tax Department. As per the new law wef AY 2018-19, a penalty of ₹5,000 will be levied if the return is filed after the due date but before December 31 of that year and ₹10,000 post December 31. However, as relief to small taxpayers, if your income is not more than ₹5 lakh, the maximum penalty levied will be ₹1,000.

9. एक वेतनभोगी करदाता हर साल ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट कर सकता है। इसका मतलब है कि आप एक वर्ष में नई कर व्यवस्था चुन सकते हैं और दूसरे वर्ष में नियमित कर व्यवस्था चुन सकते हैं। एक गैर-वेतनभोगी करदाता

को टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय नई व्यवस्था का चयन करना होता है। उन्हें वर्ष के शुरुआत के दौरान अपनी पसंद की घोषणा सीपीसीबी- एफ एंड ए डिवीजन को सूचित करने की आवश्यकता है। हालांकि, एक गैर-वेतनभोगी करदाता हर साल नई कर व्यवस्था से ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट नहीं कर सकता है। एक बार जब कोई गैर-वेतनभोगी नई कर व्यवस्था से बाहर निकल जाता है, तो वे भविष्य में नई कर व्यवस्था के लिए फिर से ऑप्ट-इन नहीं कर सकते हैं।

9. A salaried taxpayer can opt-in and opt-out every year. That means you can choose the new tax regime in one year and choose the regular tax regime in another year. A non-salaried taxpayer has to choose the new regime at the time of filing the tax return. They need not declare or intimate their choice to anyone at any time during the year. However, a non-salaried taxpayer cannot opt-in and opt-out of the new tax regime every year. Once a non-salaried opts out of the new tax regime, they cannot opt-in again for the new tax regime in the future.

10. नई कर व्यवस्था चुनने के लिए अतिरिक्त फॉर्म

यदि आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय **नई कर व्यवस्था** चुनने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको एक अतिरिक्त फॉर्म भरना होगा, जिसे फॉर्म 10-आईई कहा जाता है। एक नया फॉर्म केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 1 अक्टूबर, 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। यदि आप इस फॉर्म को भरना भूल जाते हैं, तो कर विभाग कर दरों और स्लैब के आधार पर आपकी आयकर देयता की गणना मौजूदा/पुरानी कर व्यवस्था से करेगा।

**10. Additional form to opt for a new tax regime**

If you are planning to opt for **new tax regime** at the time of filing ITR for FY2022-23, do keep in mind that you will need to **fill out an additional form, called Form 10-IE**. The new form was notified by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) via a notification dated October 1, 2020. If you forget to fill this form, the tax department will calculate your income tax liability based on the tax rates and slabs of the existing/old tax regime.

11. आईटीआर देर से दाखिल करने पर जुर्माने के अलावा, अगर आप वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए फाइल करते समय कोई गलती करते हैं, तो आपके पास अपना संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 मार्च, 2024 तक का समय होगा।

11. Apart from penalty on late filing of ITR, if you make a mistake while filing for FY2022-2023, then you would have time till 31 March, 2024 to file your revised return.

**को कॉपी:**

**Copy to:**

1. अध्यक्ष-सीपीसीबी के निजी सचिव : - अध्यक्ष महोदय - सीपीसीबी की जानकारी के लिए
1. PS to CCB: - For kind information of CCB
2. सदस्य सचिव - सीपीसीबी के निजी सचिव महोदय:- सदस्य सचिव की जानकारी के लिए

2. PS to MS: - For kind information of MS
3. प्रभारी - आई.टी. संभाग- इस परिपत्र को कर्मचारी कार्नर और सीपीसीबी ई-ऑफिस पोर्टल पर प्रकाशित करने के लिए।
3. Incharge-I.T. Division- for publishing this circular on employee corner and CPCB e-office portal.
4. संभागीय प्रभारी :- कृपया उनके संभाग में सूचना एवं प्रसार के लिए।
4. Divisional Incharges: - For information and circulation in their division please.
5. प्रभारी, अंचल कार्यालय:-
  - (i) आंचलिक कार्यालय में सूचना एवं परिचालन के लिए कृपया।
  - (ii) मुख्यालय को अग्रेषित करने से पहले, क्षेत्रीय निदेशालय के लेखा अधिकारियों द्वारा बचत संलग्नकों की जांच की जानी चाहिए।
  - (iii) नियमित आधार पर क्षेत्रीय निदेशालय स्तर पर भुगतान किए गए कर योग्य भत्तों के भुगतान के लिए मुख्यालय को अद्यतन करना।
5. Incharge, Regional Directorates: -
  - (i) For information and circulation in Regional Directorates please.
  - (ii) Before forwarding to HO, the saving enclosures must be checked by RD Accounts Officials.
  - (iii) To update HO for payments of Taxable allowances paid at RD level on regular basis.
7. नोटिस बोर्ड
6. Notice Board
8. मास्टर फ़ाइल
7. Master file

(विपिन गोयल)

सहायक लेखा अधिकारी  
वित्त एवं लेखा विभाग, दिल्ली